फर्द अहकाम

(नियम–26)

[अद]ालत– उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ

[...]सैन पुत्र दौलत अली जाति मुसलमान [का]कनियावास बनाम आशमा पत्नि अफजल हुसैन जाति मुसलमान नि० काकनियावास

[कि]स्म मुकदमा– 53,88,188 रा०का० अधि० नम्बर 33 वर्ष 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2019	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील **श्री शांति लाल ढेल** ने अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा०का० अधि० के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 29.11.19 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
29-11-19	पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने उपस्थित होकर दावा नहीं चलाने बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश किया। वादी ने पहचान स्वरूप आधार कार्ड व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के फ्री सीनियर सिटीजन कार्ड की प्रति पेश की, जिस पर हस्ताक्षर कर स्व प्रमाणित किया है। वादी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में (कथनानुसार) बयान (कथन) लिये गये। बयानानुसार वादी (प्रार्थी) ने उक्त वाद प्रस्तुत किया था, जिसे वह अब चलाना नहीं चाहते है। वादी (प्रार्थी) ने उक्त वाद को उठाने की इजाजत चाही। हमने प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी (वादी) द्वारा वाद को उठाने की इजाजत चाही है। अत: प्रार्थी (वादी) को वाद उठाने की इजाजत दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	अ.नि. न्याजहुसैन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2019.12.05 12:49:27 IST
Reason: SelfAttested